



निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
DIRECTORATE GENERAL OF PERFORMANCE MANAGEMENT

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

Customs, Central Excise & Service Tax,

दक्षिण क्षेत्रीय इकाई

South Regional Unit

नं ४ पॅथिओन लेन, एगमोर

No:4, Pantheon Lane, Egmore,

चेन्नई - ६००००८

CHENNAI - 600 008

Phone: 28191663,28193308

Fax : 044-28193309

Email: dgiccesru@gmail.com

फा. सं/ F.No I / 19/21/SRU/2016-17

दिनांक/ Date:02/02/2017

सेवा में / To.

1. महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो/ The Director General, Narcotics Control Bureau
गृह मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक नं 1/ Ministry of Home Affairs, West Block, No. 1 विंग नं 5/ Wing No. 5
आर के पुरम/ R.K. Puram, नई दिल्ली - 110066/ New Delhi - 110066

2 महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, डी ब्लॉक, आई. पी. भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली -
110002

The Director General, Directorate of Revenue Intelligence, 'D' Block, I.P. Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi - 110002.

3. महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, वेस्ट ब्लॉक VIII, विंग नं. VI, दूसरी
मंजिल, आर के पुरम, नई दिल्ली 110066

The Director General, Directorate General of Central Excise Intelligence, West Block VIII, Wing
No. VI, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi - 1100 66

4. आयुक्त, विधि कार्य निदेशालय/ चौथी मंजिल, राजेन्द्र भवन, 210- दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई
दिल्ली - 110002

The Commissioner, Directorate of Legal Affairs, / 4th Floor, Rajendra Bhawan, 210, Deendayal
Upadhyay Marg, New Delhi - 110002

5. प्रिंसिपल आयुक्त/ आयुक्त सभी

All Principal Commissioners/Commissioners,

सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (प्रिवेंटिव) , केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर / Customs, Customs (Prev),
Central Excise, Service Tax.

महोदय/ महोदय/ Sir / Madam

विषय / Sub: - Legal verification of AEO applicants under AEO program regarding.

कृपया निदेशक (सीमा शुल्क) द्वारा जारी किये गए पत्र F.No. 450/179/2009-Cus IV(Pt) दिनांक ०२.०१.२०१७ और ए.इ. ओ (प्रोग्राम मेनेजर) द्वारा दिनांक ११.०१.२०१७ F.No. 1380/65/2016 को जारी किये गए पत्र का अवलोकन करें। (दोनों पत्र सी.बी. इ सी के वेबसाईट पर विभाग अधिकारी के टेब पर उपलब्ध हैं)

Please refer to the letter F.No. 450/179/2009-Cus IV(Pt) dated 02.01.2017 issued by the Director Customs and the letter F.No. 1380/65/2016 dated 11.01.2017 on the above subject matter (already available on the CBEC website under Departmental Officers Tab).

ए. इ. ओ(एल ओ) प्रमाणन हेतु निम्नलिखित आवेदकों ने आवेदन दिए हैं

1. इन्डियन शिपिंग अंड लोजिस्टिक्स फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
2. कामराजर पोर्ट लिमिटेड
3. आर जी कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4. पायनियर सर्विसेस
5. जर्मन एक्सप्रेस शिपिंग एजेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. ग्लोविस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7. आर ओई के फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड
8. डेल्टा इन्फ्रालोगिस्टिक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड
9. थिरुरानी लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10. टीवीएस डायनामिक ग्लोबल फ्रेट सर्विसेस लिमिटेड
11. फेम शिपिंग एजेंसी
12. इन्देलोक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

The following entities have applied for AEO- LO status.

1. Indian Shipping and Logistics Facility P. Ltd
2. Kamarajar Port Ltd
3. RG Cargo Services Pvt. Ltd
4. Pioneer Services
5. German Express Shipping Agency India Pvt. Ltd
6. Glovis India Pvt Ltd
7. RYK Freight Forwarders Pvt Ltd

8. Delta Infralogistics worldwide Ltd
9. Thiru Rani Logistics Pvt Ltd
10. TVS Dynamic Global Freight Services Ltd
11. Fame Shipping Agency
12. Indelox Services Pvt Ltd

आपसे से यह अनुरोध है की निम्नलिखित बिन्दुओं से इन आवेदकों से सम्बंधित विवरण इस कार्यालय के इ-मेल आई डी dgiccesru@gmail.com पर प्रेषित करने की कृपा करें ।

- i. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में धोकाधड़ी , जालसाजी, सीधी तस्करी. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के गुप्त रूप से निष्कासन अथवा ऐसे मामले जहां ग्राहक से सेवाकर वसूला गया परन्तु सरकार के पास जमा नहीं किया गया, से अंतर्गत मामलों के सम्बन्ध में जारी किये गए कारण बताओ नोटिस (एस. सी. एन) ।
- ii. वे मामले जहां आवेदक अथवा इसके वरिष्ठ प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है अथवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है ।
- iii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जारी किये गए सभी कारण बताओ नोटिस (एस. सी. एन) (उक्त i एवं ii में दर्शाए गए के अतिरिक्त) मांगी गयी विवादित ड्यूटी मांग या ड्रा बक मांग अथवा इनकार की मांग का अनुपात उपलब्ध कराया जाए.

विवरण में संक्षेप में मामला, कारण बताओ नोटिस/ आदेश की तारीख तथा आलिप्त राजस्व दर्शाया जाए । यदि आवेदक विभाग/ सरकार के किसी प्रतिकूल ध्यान में आया हो तो कृपया उसका विवरण भेजा जाए।

It is requested that details as mentioned below against these entities may be sent to this office through this office e-mail id, dgiccesru@gmail.com at the earliest please.

- i. Show cause notice issued to them during last three financial years involving fraud, forgery, outright smuggling, clandestine removal of excisable goods or cases where Service Tax has been collected from customers but not deposited to the Government.
- ii. Case wherein prosecution has been launched or is being contemplated against the applicant or its senior management.
- iii. Whether there are any disputed duty demanded or drawback demanded or sought to be denied, in all the show cause notices issued under Customs Act, 1962 (other than those mentioned in point i and ii above) during the last three financial years. The ratio of such disputed duty demanded or duty drawback demanded or sought to be denied may be provided.

The details may include issue in brief, date of SCN/order and revenue implication. In case this applicant has come to any adverse notice of the department/ Govt., details may be communicated.


सी. बी. इ. सी के परिपत्र सं 33/2016- सीमा शुल्क के पैरा 3.2 के सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों हेतु पार्टी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिकार्ड की बैकग्राउंड जांच करने हेतु यह विवरण आवश्यक है | यदि उपर्युक्त निर्धारित 21 दिनों तक जवाब प्राप्त नहीं होता है तो मान लिया जाएगा की आवेदक को ए. इ. ओ स्टेटस प्रदान करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है |

These details are necessary to run a background check on compliance record submitted by the party for the last three years in terms of Para 3.2 of the Customs Circular No. 33/2016 dated 22.07.2016. In case no comments are received within 21 days, it will be presumed that you have no objection in granting 'AEO' status to the above applicants.

इसके अतिरिक्त आवेदक के अपयश सम्बन्धी कोई मामला आपके नोटिस में अभी आया है अथवा भविष्य में आये तो उसकी सूचना हमें भेजे |

Moreover, if any incidence of disreputation of the applicant comes to your notice now or in future, the same may be informed to us.

भवदीय/ Yours faithfully,



डॉ .के. वेंकट राम रेड्डी/ Dr. K. Venkat Ram Reddy
अपर निदेशक (ए. इ ओ)/ Additional Director(AEO)